29/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते बहस दि० 6/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
6/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते बहस दि० 19/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
19/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते बहस दि० 12/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
12/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते बहस दि० 29/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
29/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश दिनांक : 30/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
30/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

गंगाराम बनाम राजस्थान सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। कार्यवाही पश्चात होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। [signature] 30.7.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

करण संख्या 99/2022
करण दायर दिनांक 18.05.2022
करण निर्णय दिनांक 30.07.2024

उनवान

1. गंगाराम पुत्र नानगराम उम्र 54 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम हरसौरा तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. तहसीलदार बसवा तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 (सीमा विवाद) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम हरसौरा पटवार हल्का अरनियां , भू अभि. नि. देलाडी, तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 39 व पुराना 42 के खसरा नं. 3992/443 रकबा 0.63 हैक्टे., खसरा नं. 3993/446 रकबा 0.63 हैक्टे., कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 192 पुराना 223 खसरा नं. 444 रकबा 0.63 हैक्टे. खसरा नं. 445 रकबा 0.20 हैक्टे. खसरा नं. 447 रकबा 0.22 हैक्टे., खसरा नं. 448 रकबा 0.16 हैक्टे. खसरा नं. 449 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 449/3951 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर है। उपरोक्त भूमि की सीमाएँ अभी तक (वर्तमान) में निर्धारित नहीं है इसलिए उक्त भूमि के चारो तरफ कि दिशाओं वाले पडौसी खातेदार सीमाओं (सीमाज्ञान) के अभाव में प्रतिवर्ष फसल बोते व काटते समय झगडा करने पर आमादा हो जाते है इसलिए जमाबंदियों में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की जमाबंदियों में दर्ज उक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 39 पुराना 42 व खाता संख्या 192 पुराना 223 का सीमाज्ञान हो चुका हे उसके अनुसार प्रार्थी की जमाबंदियों में दर्ज उक्त भूमि के पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार बांदीकुई को फरमावे ।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण में भू. अ. निरीक्षक रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी वकील बहस सुनी। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम हरसोरा खाता सं. नया 192 पुराना 223 एवं खाता सं. नया 39 पुराना 42 के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थी की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 39 व पुराना 42 एवं खाता संख्या नया 192 पुराना 223 वाके ग्राम हरसोरा तह. बॉदीकुई जिला दौसा की मुताबिक सीमाज्ञान विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी कोलवा से प्राप्त करें। थानाधिकारी कोलवा वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

30.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner